# कार्यालय अंचल अधिकारी, माण्डू (रामगढ)

## आदेश पत्रक

विविध वाद सं0 ....03.... / 16–17

| आदेश की तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख |
|---|---|---|
| 08-01-18 | :– आदेश :–<br><br>**विविध वाद : 03 / 16–17**<br><br>प्रस्तुत वाद आवेदन संजय कुमार नायक पिता नागेश्वर प्रसाद नायक ग्राम+पो0 माण्डू जिला रामगढ के आवेदन पत्र पर प्रारम्भ किया गया है। आवेदक का कहना है कि ग्राम माण्डू थाना नं0 114 खाता नं0 42 रकवा 2.93 ए0 भूमि केवाला सं0 3258 दिनांक 05.05.1954 द्वारा मेरी नानी सोहो कुंवरी को खरीदगी हासिल है। जिसकी जमाबंदी राजस्व पंजी II के भोल्युम नं0 112 / IX मे सोहो देवी के नाम पर दर्ज है। उनका कहना है कि प्रतिवेदित भूमि में से आधा यानी $1.46^{1/2}$ ए0 भूमि उनके हिस्से की है।<br><br>अतः उक्त भूमि की जमाबंदी अलग करके आवेदक के नाम से (मेरे नाम) लगान रसीद निर्गत किया जाए।<br><br>उपर्युक्त वाद काफी पुराना है। अभिलेख का अवलोकन किया। पूर्व पीठासीन पदाधिकारी द्वारा केवल अभिलेख को खोला गया है तथा कोई सार्थक कार्रवाई परीलक्षित नही होती है।<br><br>यह वाद मातृक (Maternal) अर्थात नाना / नानी के संपति में हिस्सेदारी एवं बटवारा से संबंधित है। उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत विषय इस न्यायालय क्षेत्राधिकार से बाहर है तथा इसका निराकरण व्यवहार न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है। इस Observation के साथ वाद की कार्रवाही समाप्त की जाती। वादी चाहे तो व्यवहार न्यायालय में राहत के लिए आवेदन दे सकते है।<br><br>लेखापित एवं संशोधित<br>8/1/18<br>अंचल अधिकारी<br>माण्डू<br><br>8/1/18<br>अंचल अधिकारी<br>माण्डू<br>8/1/18 | |